73

1

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 पुनरीक्षण R 1504-II-17

आज दि. 26/5/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नवनीत सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, जाति जायसवाल ठाकुर, व्यवसाय अध्ययन, निवासी देवी मंदिर रोड़, भवन क्रमांक 217, कस्बा जौरा, परगना जौरा, जिला मुरैना (म0प्र0)

-----याचिकाकर्ता

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन --------रिस्पोडेण्ट्

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना (म0प्र0) पीठासीन अधिकारी श्री आर.बी. प्रजापति साहब द्वारा प्रकरण क्रमांक 330/2015-16/अपील बउनवान नवनीत सिंह विरुद्ध म0प्र0शासन, में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च, 2017 से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय,

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका सविनय निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता के बाबा अर्थात् वसीयतकर्ता स्वर्गीय वीर गोविंद सिंह के पिता पुत्तू लाल वल्द बद्रीप्रसाद साकिन जौरा को भूमि सर्वे क्रमांक 531 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा वर्तमान पटवारी हल्का नं0 24/4, तहसील जौरा, परगना जौरा जिला मुरैना बावत् पट्टा सम्वत् 2007 अर्थात् वर्ष 1951 में प्रदान किया। रिस्पोडेण्ट के ज्ञान व जानकारी में ही उक्त सर्वे क्रमांक पर पट्टाग्रहीता पुत्तूलाल का निरंतर निर्विघन कब्जा काश्त रहा व उन्होंने जीवनपर्यन्त तक निरंतर निर्विघ्न रूप से वहैसियत भूमिस्वामी उपयोग उपभोग कर फसल प्राप्त की। तदनुसार पट्टाधारक पुत्तूलाल का राजस्व अभिलेख में निरंतर उल्लेख सम्वत् 2019 से सम्वत् 2064 अर्थात् वर्ष 1963 से वर्ष 2008 तक के खसरों में किया गया है। पट्टाग्रहीता पुत्तूलाल की मृत्यु उपरांत विधिक वारिस के रूप में पट्टाधारक के स्थान पर उक्त भूमि पर वसीयतकर्ता वीरगोविंद सिंह का नाम राजस्व अभिलेख में वहैसियत भूमिस्वामी सम्वत् 2035 अर्थात् 1979 के उपरांत से निरंतर रिस्पोडेंट के ज्ञान व जानकारी में होता चला आ रहा है ।
2. यहकि स्पष्ट किया जाता है कि पट्टाग्रहीता पुत्तूलाल को उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1504–दो/17 जिला–मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 बरूआ उपस्थित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 330/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.3.2017 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मृतक वीरगोबिन्द सिंह के स्थान पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक के बाबा स्व0 श्री वीरगोबिन्द सिंह पुत्र पुत्तूलाल जायसवाल निवासी जौरा के नाम कस्वा जौरा में भूमि संर्वे कमांक 531 रकवा 0.397 है0 स्थित है। जिसके स्व0 श्री वीरगोबिन्द सिंह पुत्र पुत्तूलाल जायसवाल निवासी जौरा के एक मात्र भूमि स्वामी थे। उनके द्वारा अपने जीवलकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयतनाम दिनांक 10.6.04 को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति का आवेदक के हित में संपादित किया था तथा दिनांक 29.6.08 को वीर गोविन्द सिंह का स्वर्गवास हो गया। आवेदक मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयतनाम दिनांक 10.6.04 के स्व0 वीर गोविन्द सिंह के नाम से वार्ड कमांक 15 कस्वा जोरा में भवन	

कमांक 217 स्थित है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का साक्ष्य का अनदेखी करते हुये अवैध रूप से आदेश पारित किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी ग्राहय की जावे।

3– – आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 531 पटवारी अभिलेख संबंध 1993 व 2007 में मिलकियत सरकार व एहतमाम रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट दर्ज होना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है। आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी होने संबंधी कोई भी दस्तावेज एवं साक्ष्य अपने भूमिस्वामी स्वत्व के संबंध में पेश नहीं किये है। शासकीय भूमि होने के पश्चात उनके द्वारा किस सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक से भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हुआ इस संबंध में भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना का आदेश दिनांक 8.7.16 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 330/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.3.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य